

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट
कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्य प्रदेश

परिशिष्ट "एवा"
[26/7/2017]

व्यालियर दिनांक 2012

क्रमांक 1195 / 11भ.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 परिशिष्ट 'पच्चीस'
प्रति प्रश्न सं. [क. 2861]
अधीक्षक भू-अभिलेख
भू-अभिलेख शास्त्र
कलेक्टर जिला स्पष्टमरस्त
(म.प्र.)

उत्तराण्डुक-2861

विषय- मानवीय मुख्यमन्त्री जी की घोषणा का ए 0969 भजरे टोलों को साजस्य ग्राम घोषित करने वायत।

संदर्भ- (1) प्रमुख सचिव ज.प्र. शासन राजस्व विभाग भूपाल का समस्त कलेक्टर्स को सम्बोधित तथा

इस कार्यालय को पृष्ठांकित पत्र-क्र.एफ 11-1/2010/सात-शा.6 भूपाल दिनांक 8 जुलाई 2011.

(2) इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 781/11भ.प्र./मा.चि.शा./म.टो./2012 व्यालियर दिनांक 16.4.2012.

उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करूँ। विषयान्तर्गत स्थेष्ठ है कि कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त व्यालियर में अधीक्षक भू-अभिलेख अधिकारियों की दिनांक 2.6.2012 को आयोजित की गई बैठक में मान्य आयुक्त महोदय द्वारा यह निर्दीशित किया गया है कि भू-राजस्व संहिता के विहित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए, ऐसे भजरे टोलों को घिन्हांकित करें, जिन्हें राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया जा सकता है।

अतः भजरे टोलों को राजस्व ग्राम में परिवर्तन के लिये निम्नांकित मुप्रदण्ड अपनाये जायें :

- (1) मूल राजस्व ग्राम से भजरे टोलों की दूरी लगभग 2 कि.मी.वा अधिक होनी चाहिये।
- (2) प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम का क्षेत्रफल 200 एकड़ से कम न हो, तथा प्रथक हुए उक ग्राम की अधिकी 200 वा अधिक होनी चाहिये।
- (3) प्रथक बनाये जा रहे, राजस्व ग्राम की चतुर्सीमार्य मूल ग्राम से एवं अन्य सीमावर्ती ग्रामों से जिलती चाहिये, भजरे टोलों से प्रथक बनाये जा रहे राजस्व ग्राम की सीमार्य मूल ग्राम की सीमाओं के अन्दर ही स्थित न रहे।

अतः उपरोक्त अ.ब्र.स के मुप्रदण्डों एवं मा.प्र.भू-राजस्व संहिता में विहित प्रावधानों को दीर्घत रखते हुए जिते हैं, भजरे टोलों को राजस्व ग्राम बनाये जाने हेतु घिन्हांकित कर सूची, एवं सुलित किये जा रहे, नवीन राजस्व ग्रामों के मानवियों की प्रति, के साथ, औचित्यपूर्ण प्रस्ताव निर्देशनुसार 15 से 20 दिवस के अन्दर प्राथमिकता देकर तैयार कर इस कार्यालय को भिजवाये।

भजरे टोलों से बनाये जाने वाले तीन राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव, घिन्हांकित भजरे टोलों की नामवार सूची, अन्वयित्र सुस्पष्ट हो, इस तथ्य का विशेषतः ध्यान रखे जाने वायत आदेशित किया जाता है।

संगीत आयुक्त
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त
मध्य प्रदेश

क्रमांक
प्रतिलिपि-

/11भू.प./मा.वि.श./म.टो./2012

म्यालियर दिनांक

- 1- कलेक्टर जिला- समझौते म.प.की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए लेख है कि अधीनस्थ को विषयांकेत जानकारी के, प्रस्ताव 15 से 20 दिवस के भीतर निर्देशानुसार तैयार कराये जायार इस कार्यालय को भिजायाये जाने हेतु कृपया आदेशित करने का काष करें।
- 2- सीधीय उप आयुक्त भू-अधिकारी जिला समझौते म.प.की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्ञाति

संयुक्त आयुक्त
भू-अधिकारी एवं बन्दोबस्तु
भू-भूमि प्रदेश